WWJMRD 2018; 4(8): 11-14
www.wwjmrd.com
International Journal
Peer Reviewed Journal
Refereed Journal
Indexed Journal
Impact Factor MJIF: 4.25
E-ISSN: 2454-6615

कार्तिकेय कुमार सिंह
शोध छात्र
विधि संकाय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (उ.प्र.)
भारत

Correspondence:
कार्तिकेय कुमार सिंह
शोध छात्र
विधि संकाय
इलाहाबाद विश्वविद्यालय (उ.प्र.)
भारत

अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भ में आतंकवाद निरोधक कानून – एक आलोचनात्मक अध्ययन

कार्तिकेय कुमार सिंह

सारांश –
जनकल्याणमयी विधि के अभाव में सभ्य विश्व का निर्माण मात्र एक कोरी कल्पना है। वर्तमान समय में विश्व आतंकवाद जैसे गम्भीर समस्या को झेल रहा है। जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादी हमले, मिस्र के ऊपर रूस के एक यात्री विमान पर बम से निशाना, इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह द्वारा बंधकों की हत्या ने विश्व समुदाय को भयभीत कर दिया।
वैश्विक स्तर पर इस समस्या के समाधान के लिए विश्व के विविध देशों ने आतंकवाद निरोधक कानून का निर्माण किया है जिससे विश्व में फैली इस गम्भीर समस्या को नियन्त्रित किया जा सके।
इस पेपर का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरूद्ध लड़ने के लिए आतंकवाद निरोधक कानून के निर्माण के साथ–साथ उसके सद्भावना पूर्वक प्रवर्तन कराने के संदर्भ में प्रोत्साहित करना है। जिससे वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर पर समान्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो सके।

शब्द कुंजी -आतंकवाद, निरोधक कानून।

प्रस्तावना
आतंकवाद की समस्या किसी एक राष्ट्र या समाज की नहीं है बल्कि यह समस्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से फैली हुई है और सम्पूर्ण मानव जाति इस भीषण समस्या से ग्रसित है। इस विश्व व्यापी समस्या का समाधान किसी विशेष देश के प्रयास मात्र से सम्भव नहीं है, लेकिन इसके समाधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास होने चाहिए। तभी इस सर्वव्याप्त समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है।
आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति आतंक शब्द से हुई है। आतंकवाद को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। ऐसा कार्य जो किसी प्रकार की आतंक या हिंसक गतिविधियों को फैलाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही कार्यो को आतंकवाद कहते है। ऐसे कार्य करने वाले को आतंकवादी कहते है।
आतंकवाद एक प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो कि अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सेना, गैर–सैनिक अर्थात नागरिको की सुरक्षा को भी निशाना बनाते है। गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक हिंसा को भी आतंकवादी घटना के तहत समझा जाता है।
11 सितम्बर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, तथा 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमलों ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत को आतंकवाद से भयभीत कर दिया। इन हमलों का क्रम वर्तमान समय में भी लगातार जारी है जैसे 2002 में चेचन्या विद्रोहियों द्वारा रूस में एक थियेटर पर कब्जा, मई 2002 भारत के जम्मू में आतंकवादियों द्वारा हमला, 12 अक्टूबर 2002 में इण्डोनेशिया के बाली में बम विस्फोट, 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई में ताजमहल होटल पर हमला, वर्ष 2011–12 में इराक, इरान, लिबिया, सीरिया एवं अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाएँ जारी रही और भारत के जम्मू–कश्मीर में वर्तमान समय में भी गैर आतंकवाद समर्थित देशों द्वारा यह घटनाएँ जारी हैं।
आतंकवाद की बढ़ती समस्या ने सम्पूर्ण विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया और इसकी रोकथान के लिए ब्रुसेल्स के ''नाटो'' सम्मेलन में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन समूह की सेनाओं को अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की रोकथाम के लिए एक सैनिक गठजोड़ पर सहमति प्रदान करने को विवश कर दिया।
अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद जैसी समस्या के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास इसकी स्थापना के समय से ही लगातार जारी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, आतंकवाद विरोधी प्रस्ताव, कन्वेन्शन्स में प्रावधान किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से देश जेसे– भारत, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इत्यादि ने आतंकवाद निरोधक कानून बनाये है।

भारत में आतंकवाद निरोधक कानून

वैश्विक आतंकवाद से प्रभावित देशों में वर्तमान समय में भारत का स्थान प्रमुख देशों की सूची में शामिल है जिसमें आतंकवादी घटनाएँ निरन्तर जारी है। भारत अपनी स्वतंत्रता के समय से ही आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक और जातिगत असमानता से ग्रसित रहा है। यहाँ अशिक्षा, जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद, गरीबी, बेकारी और आन्तिरिक वैमनस्यता अन्य देशों से ज्यादा विषम है। भारत अपनी भौगोलिक सीमा विशेषकर उत्तर–पूर्व एवं पश्चिम का क्षेत्र संवेदनशील रहा है। इस बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अनेक आतंकवादी कानून एवं नियम पारित किए जिसके माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार द्वारा इनमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं पड़ोसी देशों के साथ समन्वय के अभाव में भारत सरकार के प्रयास उतने सार्थक साबित नहीं हुए जितनी सफलता का लक्ष्य इन अधिनियमों में प्रावधानित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा निर्मित आतंकवाद निरोधक कानून जो वैश्विक एवं आन्तरिक आतंकवाद को रोकने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये कानून प्रमूख है। आतंकवाद और प्रतिरोधक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985, आतंकवाद निवारक गतिविधि अधिनियम 1985, आतंकवाद निवारक गतिविधि अधिनियम 2002।

आतंकवाद और प्रतिरोधक गतिविधि निवारक अधिनियम, 1985 कानून को सामान्य रूप से टाडा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1985 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था और इसे 1987 में संशोधित किया गया था। इस कानून को 1995 में पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उपयोग किया गया था। इसे 23 मई 1985 का लागू किया गया था और 1989, 1991 तथा 1993 में इसे नया रूप दिया गया था, लेकिन 1995 में इस कानून के दुरूपयोग के कारण इसकी काफी आलोचना हुई जिसके फलस्वरूप नया कानून पारित करना पड़ा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें अवैध हथियार वित्तीय सहायता, अवैध एवं संदेह की सभी गतिविधियों में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के अन्तर्गत आतंकवाद की परिभाषा इतनी व्यापक हो गयी कि इससे सामान्य नागरिक भी प्रभावित होने लगे। इसमें अवैध हिंसा अवैध लेन–देन भी शामिल कर लिया गया।

इस अधिनियम में इटली के पूर्व अधिनियम के आधार पर पुलिस की व्यापक जाँच और निगरानी के अधिकार दिए गए थे, यहाँ तक कि 24 घण्टे के अन्दर न्यायालय में पेश करने एवं आरोपी के संबंधित को सूचना देने के लिए भी बाध्य नहीं थी और यह अपराधियों के 90 दिन के रिमाण्ड को 100 दिन तक कर दिया गया और गिरफ्तार व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस अधिकारी ही न्यायालय में सबूत को पेश करेगा। इस अधिनियम के अनुसार सबूत का भार आरोपित पर है कि वह अपनी निर्दोषिता की साबित करे। इस अधिनियम के अनुसार आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा टाडा की विशेष अदालत में चलाया जाता था। बम्बई बम काण्ड का मुकदमा इस अधिनियम के अनुसार विशेष उल्लेखनीय है।

30 जून 1994 तक टाडा के अन्तर्गत 76000 गिरफ्तारिया हुई थी। इसमें 25 प्रतिशत को पुलिस ने बिना आरोपित गिरफ्तार किया था और उनको बाद में छोड़ दिया गया था। इनमें से सिर्फ 35 प्रतिशत ट्रायल हुआ जिसमें 95 प्रतिशत को छोड़ना पड़ा।

पुलिस और राजनैतिक दलों द्वारा टाडा का इस स्तर तक दुरूपयोग किया गया था कि सामान्य नागरिकों और व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आने लगे थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा दास बनाम असम राज्य में उल्फा के असम्बंधित व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही को उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया।

सरकार द्वारा टाडा का उपयोग आतंकवादियों के विरूद्ध न करके बल्कि अपने देश के निर्दोष नागरिकों के विरूद्ध किया गया जिससे यह अधिनियम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका।

भारत सरकार ने 25 अक्टूबर 2001 को आतंकवाद रोकने के लिए टाडा के स्थान पर पोटों लागू किया गया था। इस कानून के अन्तर्गत 23 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था। इस अधिनियम में आतंकवाद और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दण्डित करने का प्रावधान किया गया था। इसमें भी पुलिस सन्देह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, किन्तु बिना आरोप पत्र के तीन माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती थी। पोटो के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील तीन माह बाद ही हो सकती थी।

आतंक वाद से लड़ने के लिए भारतीय संसद ने टाडा और पोटो कानून के स्थान पर पोटा कानून 2 अप्रैल 2002 को पारित किया था। यह कानून देश के अन्दर एक वैधानिक ढाँचा की क्षमता का निर्माण और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के सन्दर्भ में बल देता है। यह अधिनियम एक तरफ आरोपित के मौलिक अधिकारो का सम्मान करते हुए वही दूसरी तरफ आतंकवाद को राष्ट्र विरोधी गतिविधि मानकर कठोर सजा का प्रावधान भी करता है। यह अधिनियम भी आरोपित को बिना चार्जशीट न्यायालय में पेश होने तक 180 दिन तक निवारक में रख सकता है। इस अधिनियम के तहत भी पुलिस और सरकारी एजेंसियों को विशेष अधिकार मिलते है। इस अधिनियम के तहत पुलिस और सरकारी एजेंसियाँ किसी को भी सिर्फ सन्देह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। इसके तहत पुलिस को यह भी अधिकार है वह बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकती है। टेलीफोन तथा अन्य संचार सुविधाओं पर भी नजर रख सकती है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के खिलाफ गवाही देने वालो की पहचान छिपायी जा सकती है। आतंकवादियों से संबंध होने के संदेह पर अभियुक्त का पासपोर्ट और यात्रा संबंधी दस्तावेज रद्द किये जा सकते है।

भारत में आतंकवाद विरोधी कानून चाहे वह टाडा, पोटो या पोटा हो। इन सब अधिनियमों में विधायिका ने सिर्फ पुलिस और सरकारी एजेसियों की शक्ति को बढ़ाया है। जिससे पुलिस, सरकारी एजेंसिया, सत्तारूढ़ दलों की मिलीभगत ने ऐसे कठोर कानूनों की दरूपयोगिता को बढ़ाया है। इनकी दुरूपयोगिता सदैव सामान्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

भारतीय पुलिस की ये विशेषता है कि कुछ रुपयों में अपने विधिक दायित्व को भूल जाती है। इस भूल का परिणाम सामान्य एवं निर्दोष व्यक्तियों को भुगतना पड़ता है जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है।

सुझाव

भारत सरकार को चीन से सबक लेते हुए स्वतंत्र आतंकवाद निरोधक विभाग की स्थापना करनी चाहिए जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक प्रशासन और सैनिक प्रशासन, सुरक्षा ऐजेंसियाँ इत्यादि की सहभागिता होनी चाहिए।

चीन में आतंकवाद निरोधक कानून

चीन ने आतंकवादी समस्या के निदान के लिए आतंकवाद

निरोधक कानून पास कर दिया है। यह कानून सुरक्षा एजेंसियों को व्यापक अधिकार देता है। इस अधिनियम के तहत सेना आतंकवाद निरोधक अभियानों पर अन्य देशों में कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका ने निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर इस अधिनियम की आलोचना की लेकिन इसके बाद भी चीन इस कानून को मंजूरी दे दी।

नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिग कमेटी ने सर्व सम्मति से इस कानून को पारित किया जिसे पहले सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने मंजूरी दे दी थी।

इस कानून से पहले चीन ने सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच और मुख्य रूप से संवेदनशील शिनझियांग प्रांत में समन्वय बढ़ाने के लिए पहले आतंकवाद निरोधक अधिकारी के तौर पर एक शीर्ष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की थी।

शिनझियांग प्रांत में सुरक्षाबल अलकायदा के समर्थन वाले आतंकवादियों के साथ संघर्ष कर रहे है। इस कानून के तहत टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों को सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी और डेटा देना होगा। अमेरिका ने निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर इस कानून की आलोचना की। यह कानून तिब्बत में भी लागू होगा, जहाँ चीन की इन नीतियों के खिलाफ 120 से ज्यादा बौद्ध आत्मदाह कर चुके है।

इस नये कानून के तहत विदेशों में आतंकरोधी अभियान में चीन की सेना (पी.एल.ए.) का शामिल होना कानूनी तौर पर सही माना जाएगा। पी.एल.ए. और सशस्त्र पुलिस केन्द्रीय सैन्य आयोग की इजाजत से कही भी आतंकियो के खिलाफ अभियान चला सकेगी।

सरकारी ''शिन्हुआ'' समाचार एजेंसी ने इस कानून के महत्व को बताते हुए कहा कि चीन का नया कानून ऐसे संवेदनशील समय में आया है। जब विश्व के कई देश जैसे– फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादी हमले, मिस्र के ऊपर रूस का एक यात्री विमान पर बम से निशाना और इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह द्वारा बंधकों की हत्याओं के मामले अन्तर्राष्ट्रीय जगत को भयभीत कर रहे है। जब संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सदस्य स्वयं सुरक्षित नहीं है तो विश्व के और देशों की सुरक्षा कहाँ तक कर पायेंगे। किसी देश द्वारा अन्य देश के आतंकरोधी कानून पर आलचोना करना सरल है, लेकिन कानून पारित करके पालन करवाना अत्यधिक कठिन है।

चीन का यह नया कानून आतंकवाद के निदान में सहयोगी सिद्ध होगा।

फ्रांस में आतंकवाद निरोधक कानून

फ्रांस में आतंकवाद निरोधक विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी है। फ्रांस के सुरक्षा कानूनों को और कड़ा बनाने के लिए विवादास्पद विधेयक को कंजर्वेटिव सदस्यों की बहुलता वाली संसद ने मंजूरी दे दी है। सीनेट के सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में 229 वोट डालकर इसका समर्थन किया। इस मसौदे को निचले सदन नेशनल असेम्बली को भेजा जाएगा जहाँ अक्टूबर 2018 में चर्चा होगी।

वर्तमान समय में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादी हमले हुए है। फ्रांस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को लाया गया है।

यूनाइटेड किंगडम में आतंकवाद निरोधक कानून

ब्रिटिश शासन ने भी आतंकवाद पर सख्त कार्यवाही करने के लिए अनेक आतंकवाद निरोधक कानून बनाया जेसे– आतंकवाद विरोधी अधिनियम (उत्तरी आयरलैण्ड) 1974–89, आतंकवाद अधिनियम 2000, आतंकवाद विरोधी अपराध एव सुरक्षा अधिनियम 2001। यह अधिनियम प्रजाति एवं धार्मिक वैमनस्य रोकथाम अधिनियम था जिसका बाद में व्यापक विरोध होने पर लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद आतंकवाद प्रतिरोध अधिनियम 2005 बनाया गया। यह अधिनियम 9 विदेशियों को बिना ट्रायल से निवारक निरोध करने के लिए एवं आतंकवाद विरोधी अपराध एवं सुरक्षा अधिनियम 2001 के स्थान पर लागू किया गया था। 2001 का अधिनियम यूरोपियन यूनियन के मानव अधिकारों की घोषणा का उल्लंघन करता था। इसलिए सरकार ने इसको निरस्त करके अधिनियम 2005 को पास किया। इसे सम्राट की अनुमति 11 मार्च 2005 को मिली थी। यह अधिनियम राज्य सचिव को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह संदेह के आधार पर जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है उनको गिरफ्तार करने का आदेश पारित करे, लेकिन इस अधिनियम की धारा 3 को अप्रैल 2006 में हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने मानव अधिकारो के साथ विरोधी माना और इसे यूरोपीय घोषणा पत्र के उल्लंघन के कारण यूरापे में इसकी बहुत आलोचना हुई।

एमनेस्टी एवं अन्य मानवाधिकार आयोगों ने इसकी कड़ी आलोचना की कि यह कानून अपराधी को ही उसके अपराध को सबूत के रूप में स्वीकार करने के लिए दबाव डालता है और उसके मानवाधिकारों की सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं करता है, विशेष कर यह नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है।

उक्त आलोचनाओं को ध्यान में रखकर ब्रिटेन की सरकार ने 2006 में एक नया आतंकवादी कानून जारी किया जिसमें भी अनेक विरोधी धाराए हाऊस ऑफ कामन्स में आयी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवाद निरोधक कानून

संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन परिसंघीय है जिसमें संघ और राज्यों द्वारा अलग–अलग कानून बनाए जाते है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संघीय एवं राज्य स्तर पर आतंकवाद की रोकथाम के लिए पृथक–पृथक आतंकवाद निरोधक कानून पारित करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकरोधी अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन अमेरिका की दोहरी नीति के कारण इस तरह का योगदान निरर्थक साबित हुए हैं। जैसे आतंकवाद समर्थित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता पहुँचाना। जहाँ एक तरफ उसके द्वारा आतंकरोधी अभियान चलाना वही दूसरी तरफ एक जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का सदस्य आतंकवाद को पालने वाले राष्ट्रों को आर्थिक सहायता पहुँचाते है तो दोनो नीति एक साथ कैसे पूर्ण होगी। इस तरह की नीति विश्व की शान्ति एवं सुरक्षा में कहाँ तक सहयोगी सिद्ध होगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी घटना की रोकथाम के लिए अनेक संघीय कानून मौजूद है, जैसे– जैविक हथियार आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1989, 23 जनवरी, 1995 को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का विशेष आदेश 12947 जो इस्ट–पूर्व की आतंकवादी घटनाओं को रोकता है और 11 सितम्बर की घटना के बाद राष्ट्रपति बुश ने इसे ओसामा बिन लादेन और उनके ग्रुपों की गतिविधियों को रोकने तक का विस्तार कर दिया।

संयुक्त राज्य आतंकवाद विरोधी और मृत्यु सजा अधिनियम 1996, इसकी जर्मनी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपत्ती उठायी गयी थी, जिसमें आर्मी के हथियारों की चोरी के लिए जर्मन नागरिकों को मृत्युदण्ड की सजा पारित की थी। इसकी काफी आलोचना हुई थी।

11 सितम्बर 2001 की घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा विशेष आदेश 13224 पर हस्ताक्षर करके वैश्विक स्तर पर आतंकवादियों की सम्पत्ति, संगठनात्मक समूह एवं अन्य वित्तीय सहायता पर रोक लगायी थी। अमेरिका द्वारा ने सन् 2001 में आतंकवाद विरोधी व्यापक एक्ट पारित किया गया जिसको PATRIOT USA Act, 2001 के नाम से जानते है। इसमें 2006 में संशोधन किया गया और इसमें वित्तीय गतिविधियाँ भी आतंकवाद विरोधी अधिनियम में शामिल करके इसके द्वारा व्यापक स्तर पर वैश्विक आतंकवाद को रोकने एवं नियंत्रण करने

का प्रयास किया गया है।
सन् 2002 में सेफ्टी एक्ट बनाया गया, 2001 में सीमा सुरक्षा आतंकवाद विरोधी तथा अवैध आगमन अधिनियम REALID Act, 2006 तथा सैनिक कमीशन एक्ट, आतंकवाद को रोकने और नियंत्रण हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पास किया गया। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के रोकथाम एवं नियंत्रण में अमेरिका की भूमिका 11 सितम्बर 2001 के बाद एक व्यापक स्तर पर विश्व के सामने आयी जिसमें विशेषकर ओसामा बिन लादेन एवं तालिबान के विरोध में आफगानिस्तान, इराक, ईरान, में देखने को मिली। अमेरिका का राज्य विभाग इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सूची जारी करके उन पर निगरानी रखता है। इस तरह अमेरिका आतंकवादी गतिविधियों के निवारण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष भूमिका निभाता है। लेकिन अपनी दोहरी नीति के कारण ये प्रयास वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय जगत की शान्ति, सुरक्षा और कल्याण हेतु सार्थक साबित नहीं हुए है।

उपसंहार

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद विश्व और सम्पूर्ण मानव जाति की शान्ति एवं सुरक्षा के लिए अत्यन्त जटिल समस्या है। इस गम्भीर समस्या के निदान के लिए विश्व के बहुत से देश जैसे– भारत, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि देशों ने आतंकरोधी कानून बनाये है।
आतंकवाद की समस्या का समाधान अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय स्तर पर सैन्य प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सद्भावना एवं सहिष्णुता की भावना को अपनाना होगा, और बेरोज़गार यूवकों की बेरोज़गारी को दूर करना होगा।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों और सदस्यों को सद्भावना एवं सहिष्णुता को अपनाना होगा, और वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी को दूर करना होगा। सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य जहाँ एक तरफ आतंकरोधी अभियान चलाते है वही दूसरी तरफ आतंकवाद समर्थित राष्ट्रों को वित्तीय सहायता पहुँचाने की संयुक्त राष्ट्र महासभा में वकालत करते है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता भी पहुँचाते है। जिससे से ये गम्भीर समस्या नियन्त्रित न होकर अनियन्त्रित हो जाती है।
सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्यों की यह निरंकुशता सदैव आतंकवादी विचार धारा का समर्थन करती है। जहाँ निरंकुशता है वहीं सफेद पोश आतंकवाद भी है।
केवल आतंकवाद निरोधक कानून बनाने से इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए आतंकरोधी कानून के निर्माण के साथ–साथ इसका प्रवर्तन भी आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जनकल्याणमयी विधि के प्रवर्तन से ही सभ्य विश्व का निर्माण किया जा सकता है। वरना यह एक मात्र कोरी कल्पना है।

संदर्भ सूची

1. ण्जैदी, एस हुसैन (2002), ब्लैक फ्राइडे : टू द स्टोरी ऑफ द बाम्बे बम ब्लास्ट, मुम्बई, इण्डिया : पैग्विन बुक्स, आई. एस.बी.एन. 978–0–14–302821–5, पृष्ठ – 288
2. हाफ मैन, ब्रुस ''अपर आतंकवाद'', कोलम्बिया विश्व विद्यालय प्रेस – 1998, आई.एस.बी.एन. 0231–11468–0, पृष्ठ – 32
3. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर
4. दैनिक जागरणे
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorist_and_Disruptive_Activities_(Prevention)_Act
6. shodhganga.inflinbnet.ac.in
7. http://hindi.news18.com
8. http://h.m.wikipedia.org